राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........397 / 2015.................................... जिला ....उदयपुर...

उनवान : मैसर्स डोर्स–एण्ड–डोर्स डेकोबिल्ड प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (2) सहायक आयुक्त, वृत–'डी', उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य	
06 / 04 / 2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 110 / वेट / 14–15 / उदयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.01.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–डी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 25 व 72(2) के तहत पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में कुल वसूली योग्य राशि रूपये **3,00,000 / –** की वसूली की कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 13.06.2014 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा रूपये 7,44,993 / – का माल चालान संख्या 02 से 09 के जरिये विक्रय किया गया है, जिसके वेट इन्वॉयसेज जारी नहीं किये गये हैं। वेट इन्वॉयसेज लगभग 2 माह पश्चात तैयार किये जाकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के करापवंचन की मंशा से माल विक्रय किया जाना मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25 व 72(2) के तहत आदेश पारित करते हुए उक्त उचन्ति विक्रय पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1,04,299 / – एवं धारा 72(2) के तहत शास्ति रूपये 2,08,598 / – का आरोपण आदेश दिनांक 10.07.2014 से किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2015 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गयी है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी। लगातार...............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....397/2015..... जिला .....उदयपुर.....

उनवान : मैसर्स डोर्स–एण्ड–डोर्स डेकोबिल्ड प्रा0 लिमिटेड, उदयपुर

बनाम

(1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (2) सहायक आयुक्त, वृत–'डी', उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/04/2015	विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत चालान के जरिये ही माल का विक्रय करता है तथा वेट इन्वॉयस बाद में जारी किये जाते हैं। पूर्ववर्ती वर्षों में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। वक्त सर्वेक्षण मौके पर चालान से माल विक्रय किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है, इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में बकाया मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त सर्वेक्षण मौके पर रूपये 7,44,993/– का माल चालान के जरिये विक्रय किया जाना पाया गया, जिनके वेट इन्वॉयस लगभग 2 माह पश्चात प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण में अपीलार्थी की करापवंचन की मंशा स्पष्ट प्रमाणित होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर व शास्ति की मांग सृजित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण में शेष वसूली योग्य मांग राशि में से धारा 72(2) के तहत आरोपित शास्ति राशि **रूपये 2,08,598/–** की वसूली पर आगामी तारीख पेशी तक इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते सुनवाई एकलपीठ के समक्ष दिनांक 26.06.2015 को पेश हो। 06.04.2015 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	